



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand  
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd> E-Mail-[eicpwwd@nic.in](mailto:eicpwwd@nic.in)

पत्रांक: 40 / 34व्यक-स्थानान्तरण-सा0 / 20

दिनांक 04 / 01 / 2020

### कार्यालय ज्ञाप


शासकीय पत्र संख्या-270/111(1)/18-86(अधि0)/07, दिनांक 26.02.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (सं0-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र सं0-672/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/18 दिनांक 31.03.2018 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत समूह- क/ख/ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में सुगम/दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूची विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित की गई थी।

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के सुगम/दुर्गम स्थलों का पुनः चिन्हिकरण किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0-3517/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/19 दिनांक 30.12.2019 द्वारा समिति का गठन करते हुए दिनांक 01.01.2020 को समिति की बैठक आहूत की गई। प्रश्नगत बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार पत्र सं0-33/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/19 दिनांक 04.01.2020 के द्वारा जारी कार्यवृत्त के क्रम में उपरोक्त ज्ञाप दिनांक 31.03.2018 द्वारा निर्गत सुगम/दुर्गम स्थलों की चिन्हांकन सूची के क्रमांक-1, 6 एवं 8 में आंशिक संशोधन करते हुए सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हांकन एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र0सं0	जनपद	सुगम	दुर्गम
1	2	3	4
1	पौड़ी	दुगड्डा एवं कोटद्वार	दुगड्डा एवं कोटद्वार को छोड़कर सम्पूर्ण जनपद
6	देहरादून	चकराता एवं सहिया को छोड़कर सम्पूर्ण जनपद	चकराता एवं सहिया
8	अल्मोड़ा	-	सम्पूर्ण जनपद
नोट:- वि0/यां0 खण्डों में कार्यरत कर्मिकों के सुगम/दुर्गम का निर्धारण उनके मुख्यालय/आंवटित कार्यक्षेत्र के अनुसार किया जायेगा।			
टिप्पणी:- उपरोक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप संशोधित कार्यालयों की सूची संलग्न है।			


दिनांक 31.03.2018 को निर्गत सूची में अन्य क्षेत्रों का सुगम/दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन पूर्व की भांति यथावत् रहेगा।

संलग्न:- यथोपरि।

  
(हरिओम शर्मा)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन (संलग्न:-यथोपरि)।
2. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान/नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून (संलग्न:-यथोपरि)।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड (संलग्न:-यथोपरि)।
4. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून (संलग्न:-यथोपरि)।
5. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान/नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून (संलग्न:-यथोपरि)।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड (संलग्न:-यथोपरि)।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून (संलग्न:-यथोपरि)।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड (संलग्न:-यथोपरि)।
9. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें (संलग्न:-यथोपरि)।
10. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- I/ II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून (संलग्न:-यथोपरि)।
11. वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-ख/ग/घ/कार्य प्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून (संलग्न:-यथोपरि)।
12. गार्ड पत्रावली हेतु।

  
(हरिओम शर्मा)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता  
*Let*

## संशोधित चिन्हित कार्यालयों की सूची

क्र०सं०	जनपद	कार्यालय का नाम	पूर्व में चिन्हित स्थल	वर्तमान संशोधित स्थल
1	2	3	4	5
1	पौड़ी	पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, श्रीनगर	सुगम	दुर्गम
		तत्कालीन ए०डी०बी० (आपदा) वृत्त, श्रीनगर	सुगम	दुर्गम
		निर्माण खण्ड, श्रीनगर	सुगम	दुर्गम
		रा०मा० खण्ड, श्रीनगर	सुगम	दुर्गम
6	देहरादून	अस्थाई खण्ड सहिया	सुगम	दुर्गम
8	अल्मोड़ा	क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		कार्यालय मुख्य अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		प्रथम वृत्त, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		निर्माण खण्ड-2 ए०डी०बी०, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		ए०डी०बी० आपदा / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम
		तत्कालीन ए०डी०बी० (आपदा) वृत्त, अल्मोड़ा	सुगम	दुर्गम

  
 (हरिओम शर्मा)  
 प्रभारी प्रमुख अभियन्ता  
 01/01/2020